

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 2017/माघ 27, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 364
No. 55]	DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2017/MAGHA 27, 1938	[N.C.T.D. No. 364

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 फरवरी, 2017

फा. सं. 61(998)/एसएलएससी के संविधान/डीडी(सीपीयू)/डीडब्ल्यूसीडी/2016/37381-394.—किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 59 के अन्तर्गत अधिनियम 2015 के नियम 87 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) मॉडल नियम 2016 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता, किशोर न्याय परिषद्, अध्यक्ष व सदस्य, बाल कल्याण समितियों की नियुक्ति के कार्य हेतु निम्नलिखित चयन समिति को बच्चों की देखभाल और सुरक्षा अधिनियम 2015 इस अधिसूचना के जारी होने के तीन वर्ष तक के लिए गठित करते हैं।

अध्यक्ष	माननीय श्रीमती न्यायाधीश सुनीता गुप्ता (सेवा निवृत्त दिल्ली उच्च न्यायालय) बी-6, डा0 ज़ाकिर हुसैन मार्ग, दिल्ली।
विभाग के प्रतिनिधि, सदस्य सचिव	निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 1-ए, केनिंग लेन, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली।
सदस्य के रूप में गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि	1. श्रीमती भारती अली (समन्वयक निदेशक), हक बाल अधिकारों के लिए केन्द्र, बी-1/2, मालवीय नगर, नई दिल्ली। 2. श्री अविनाश कुमार सिंह वरिष्ठ प्रबंधक, सेव द चिल्ड्रन इंडिया, दिल्ली राज्य कार्यक्रम कार्यालय, डी-61, दूसरी मंजिल, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली।

सदस्य के रूप में शैक्षणिक निकायों के प्रतिनिधि	1. प्रोफेसर नावेद इकबाल, मनोविज्ञान विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, ओखला नई दिल्ली। 2. प्रोफेसर अर्चना दस्सी, सामाजिक कार्य विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, ओखला नई दिल्ली।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रतिनिधि	सचिव, डीसीपीसीआर, पांचवां तल, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, नई दिल्ली।

चयन समिति के कार्य उक्त मॉडल नियम 2016 के नियम 88 के अनुसार होंगे।

चयन समिति प्रतिनिधि की बैठक में अध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित चार सदस्यों से कम नहीं होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के

आदेश से तथा उनके नाम पर,

सोम नायडू, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 15th February, 2017

F. No. 61(998)/Constitution of SLSC/DD(CPU)/DWCD/2016/37381-394.— In exercise of powers conferred under Sub-Section 59 of Section 2 of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 read with Rule 87 of Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Model Rules, 2016, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby constitutes the following Selection Committee for selection of the Member Social Workers, Juvenile Justice Boards and Chairperson and Members, Child Welfare Committees under Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 for the period of three years from the date of notification.

Chairperson	Ms. Justice Hon'ble Sunita Gupta, (Retired) Delhi High Court Judge B-6, Dr. Zakir Hussain Marg, Delhi.
Department's nominee as Member Secretary	Director, Department of Women & Child Development, Govt. of NCT of Delhi, 1-A, Canning Lane, K.G. Marg, New Delhi.
Representatives from NGO as Member	1. Ms. Bharti Ali (Co-Director), HAQ Centre for Child Rights, B-1/2, Malviya Nagar, New Delhi 2. Mr. Avinash Kumar Singh (Senior Manager), Save the Children India, Delhi State Program Office, D-61, 2 nd Floor, East of Kailash, New Delhi
Representative of Academic Institutions as Member	1. Prof. Naved Iqbal, Department of Psychology, Jamia Milia Islamia, Okhla, New Delhi 2. Prof. Archana Dassi, Department of Social Work, Jamia Milia Islamia, Okhla, New Delhi
Representative of State Commission for Protection of Child Rights as Member	Secretary, Delhi Commission for Protection of Child Rights, 5 th Floor, ISBT Building, Kashmere Gate, Delhi.

The functions of the Selection Committee shall be in accordance to Rule 88 of the aforesaid Model Rules, 2016.

The quorum of the meeting of the Selection Committee shall be not less than 4 Members including the Chairperson and the Member Secretary.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

SOM NAIDU, Addl Secy.